

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 01/9/26

विषय- कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 5,87,53,045/- (पाँच करोड़ सतासी लाख तिरपन हजार पैतालीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार ₹ 5,87,53,045/- (पाँच करोड़ सतासी लाख तिरपन हजार पैतालीस रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, बक्सर	34015	बक्सर जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 620 क्षमता का अटल कला भवन निर्माण कार्य	797/ 25.02.25	10623283 (एक करोड़ छः लाख तेईस हजार दो सौ तिरासी रुपये)
02.	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	33635	मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय, मुजफ्फरपुर में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य	839/ 24.03.21	46939071 (चार करोड़ उनहत्तर लाख उनचालीस हजार इकहत्तर रुपये)
03	भवन प्रमंडल, आरा	33884	बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा के जीर्णोद्धार एवं शौचालय निर्माण, सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन, सेप्टिक टैंक, शॉकपिट आदि कार्यों का निर्माण कार्य	491/ 01.11.24	1190691 (ग्यारह लाख नब्बे हजार छः सौ इक्यानवे रुपये)
कुल राशि					58753045

(पाँच करोड़ सतासी लाख तिरपन हजार पैतालीस रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0107-सांस्कृतिक संरचना, विपत्र कोड-03-4059600510107 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0107.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जायेगी।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।